(2)

की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर स्वयं के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/309–12 दिनांक 14.07.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशेलेषक, कोटा राजस्थान से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक सं0 562/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2017/573/दिनांक 11.07.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र कमांक एफएसएसए/2017/524 दिनांक 15.12.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल नं0 3 की ओर से वकील श्री विनायक बालचंदानी द्वारा वकालत नाम पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ के बयान लिये गये गैर सायल नं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री एस0के0 शर्मा द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश किया गया। गैर सायलान नं0 1 व 2 उपस्थित हुवे। दौराने बहस वकील गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुवे कथन किया गया कि फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट से यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ किन कारणों से मिस ब्राण्ड है, साथ ही दोराने बहस विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट भी नही भिजवाई गई जिससे ज्ञात हो सके की उक्त खाद्य पदार्थ मिस ब्राण्ड है। अतः इस्तगासा खारिज किया जाकर गैर सायलान को बरी किया जावे। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विकय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से अवमानक खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विकय किया गया है। साथ ही अनुरोध किया किया की फूड एनोलिस्ट से प्राप्त जॉच रिपोर्ट नियमानुसार रजिस्टर्ड डाक द्वारा तीनो गैर सायलान की भिजवाई गई थी, जिसके विरूद्व इनके द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस, व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिक्स फयूट जेम(मेप्रो ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विकय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रैणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 लगायत 3 (1मुस्तफा, 2महेश खानवानी, 3संदीप वसंत केसकर) प्रत्येक को 5000–5000/– रूपये के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल कर राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.10.2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

26/10/18

(रामप्रसाद मीणा)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

निर्णय बईजलास रामचरण शर्मा, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्या:–22/18 दायरा 08.01.2018

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड
प्रार्थी.....

बनाम

1. मुस्तफा आ0 शब्बीर भाई विक्रेता एवं मालिक मैसर्स ताहेरी प्रोविजन स्टोर पुरानी सब्जीमण्डी झालरापाटन।
2. महेश खानवानी आ0 वासुदेव मालिक/प्रोपराइटर मैसर्स आदर्श एसोसिएटस एफ 53 श्री गुरूनानक मार्ग घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर।
3. संदीप वसन्त केसकर नॉमिनी कुशाल कुंज चीजन रोड़ पंचागनी 412805 सिस्ट सअटारा महाराष्ट्रा, इण्डिया।

गैर सायल.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार
2– श्री एस0के0शर्मा वकील गैरसायलान 1 लगायत 3

–: आदेश :– दिनांक:– 26.10.2018

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 08.07.2017 को समय बाद दोपहर 01.30 बजे मय टीम के मैसर्स ताहेरी प्रोविजन स्टोर पुरानी सब्जीमंडी झालरापाटन पर निरीक्षण के लिये पहुंचा। वहा पर मुस्तफा पुत्र श्री शब्बीर भाई खाद्य पदार्थ मिक्स फ्यूट जेम (मेप्रो ब्राण्ड) का विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ मिक्स फ्यूट जेम (मेप्रो ब्राण्ड)प्लास्टिक जार 1किलो **Bat. No. R 01 Mfg date Apr 2017 Best Before 10 months** के 6 जार जो कि एक पत्थर की अलमारी में रखे हुए थे। जो आम जनता को बेचान की जा रही थी। उसमें मिलावट का संदेह होने पर चार मूल पैक जार मिक्स फ्यूट जेम (मेप्रो ब्राण्ड) के वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 760/– नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं ने किये जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मुस्तफा पुत्र श्री शब्बीर भाई विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मुस्तफा को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ मिक्स फ्यूट जेम (मेप्रो ब्राण्ड) के 1 किलो के चार जार को लेकर प्रत्येक पर लेबल चिपकायें व खाध पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी–855 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी–855 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये,फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील

(1)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

P.T.O.